पूर्व में जारी ऑनलाईन विज्ञप्ति क्रमांक 729 दिनांक 25/09/2014 में वर्गवार आरक्षण में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

स.क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	योग
1	अनु सूचित जनजाति	1	1	2
2	अनुसूचित जाति	1	1	2
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	1
4	अनारक्षित	5	2	7
कुल योग -		8	4	12

(कलेक्टर व्दारा अनुमोदित)

कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना म0प्र0

क्रमांक–स्था / 6–2 / लो.से.गा. / 2014/729 गुना, दिनांक– 25 –09–2014

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग हेतु कलेक्टर कार्यालय गुना, अनुविभागीय कार्यालयों एवं तहसील कार्यालयों हेतु स्वीकृत 12 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर के पदों की पूर्ति संविदा आधार पर किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10.10.2014 को सायं 3.00 बजे तक है। समय अवधि उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा । विस्तृत विवरण की जानकारी जिला कार्यालय गुना के नोटिस बोर्ड एवं एन.आई.सी. की वेबसाईट **www.guna.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है। कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर को संविदा अवधि के दौरान रू. 10,000 प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जावेगा ।

25/09/14
कलेक्टर,
जिला गुना म0प्र0

आवेदन–पत्र का प्रारूप

फोटो

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–गुना (म.प्र.)

विषयः–कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ।

1. अ. आवेदक का पूरा नाम हिन्दी में :–..............................
   ब. अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :–..............................
2. लिंग–पुरूष/महिलाः–..............................
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित :–..............................
4. अ. पत्र व्यवहार का पता :–..............................
   ब. स्थाई पताः–..............................
   (पिन कोड सहित)
5. जन्मतिथि ....वर्ष ....माह ....दिन ....
   (10+2 परीक्षा के प्रमाण–पत्र के आधार पर)
   शब्दों में :–..............................
6. दिनांक 01.01.2014 को आयु : वर्ष ....माह..........................दिन..............................
7. क्या मध्यप्रदेश का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं ....
8. क्या आवेदक म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं........

10. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	हायर सेकेण्डरी(10+2)				
2	स्नातक				
3					
4					
5					
6					

11. कार्य का अनुभव के विवरण–इस संबन्ध में आवश्यक सत्यापित प्रमाण–पत्र संलग्न करें ।

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं । जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म(यदि दो से अधिक जीवित बच्चे हों तो) दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है ।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना म0प्र0

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों का पदवार विवरण

स.क.	वर्ग	पुरूष	महिला	योग
1.	अनुसूचित जाति	01	01	02
2.	अनुसूचित जनजाति	01	01	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	01
4	अनारक्षित	06	01	07
	कुल योग	09	03	12

कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना म0प्र0

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु अर्हतायें

1. **शैक्षणिक योग्यता–**

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक से स्नातक उपाधि।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर डिप्लोमा, न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का या इससे उच्च श्रेणी की उपाधि बी.ई.(कम्प्यूटर साईंस), बी.ई.(आई.टी.), बी.एससी..(कम्प्यूटर साईंस.), बी.एससी..(आई.टी.), एम.एससी..(आई.टी.), बी.सी.ए., एम.सी.ए. इत्यादि।

2. **आयु–**

01.01.2014 को 21 वर्ष से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को पांच वर्ष तक छूट, अ.जा., अ.ज.जा.तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन नियमानुसार छूट),

3. **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि–** 10.10.2014 ..(शुक्रवार),तक आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय गुना में

4. **मूल निवासी प्रमाण** पत्र

उपरोक्त पद मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिये हैं। अतः आवेदक के चयन की स्थिति में नियक्ति के पूर्व मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन अमान्य किया जावेगा।

5. **चयन प्रकिया के चरण/आधार–**

1– निर्धारित योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदनों का परीक्षण किया जावेगा।
स्नातक में प्राप्त अंकों की प्राचीण्य (मेरिट.) सूची के आधार पर अधिकतम 1.10 के अनुपात में आवेदकों को आहूत किया जावेगा ।

2– उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन कम्प्यूटर ज्ञान की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा ..(हिन्दी टायपिंग) तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा।

3– लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जावेगी । जिसके लिये 30 अंक होंगे ।

4– साक्षात्कार हेतु लिखित परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर अधिकतम 1.3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा । साक्षात्कार के 15 अंक होंगे ।

5– दो आवेदकों के समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

6– साक्षात्कार कलेक्टर द्वारा गठित तीन सदस्यों की समिति के द्वारा लिया जावेगा।

7– लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा ।

कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना म0प्र0

संविदा नियुक्ति की शर्ते

1.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी । वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मुल्यांकन किया जायेगा । मूल्यांकन आधार परं उपयुक्त होने पर 01 वर्ष के लिये पुनः सेवा वृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा । इस तरह संविदा नियुक्ति में 02 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिये होगी ।

1.2 03 वर्ष के पश्चात आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर समग्र विचार कर सेवा अवधि में वृद्धि का निणर्य लिया जायेगा ।

1.3 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधि कोई मांग या दावा नहीं किया जावेगा ।

1.4 प्रत्येक वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिती में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी ।

2.0 **मानदेय/पारिश्रमिकः–**

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर (लोक सेवा) को संविदा अवधि के दौरान रू. 10,000/– प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जायेगा । मंहगाई एंव अन्य गृह भाडा भत्ता आदि नही दिया जायेगा ।

2.1 **यात्रा एवं दैनिक भत्ता**

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर को सहायक ग्रेड–1 श्रेणी के समकक्ष यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा ।

3.0 **ई.पी.एफ. कटोत्रा**

ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।

4.0 **अवकाश**

11 (क) आकस्मिक अवकाश–संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानूसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

(ख) **चिकित्सा अवकाश–** संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोडा जावेगा।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर जिला गुना या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा।

5.0 **अन्यः–**

5.1 संबंधित को जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

5.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर जिला गुना द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

5.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक माह पूर्व का नोटिस देकर अथावा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है ।

5.4 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/निर्देश से कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यलयीन गोपनीयता भंग नही करेगा ।

5.5 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि केदौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थान/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा ।

5.6 संविदा पर नियुक्त अधिकारी को समय–समय पर सौंपे गए अन्य समसत कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे ।

5.7 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।

5.8 संविदा पर नियुक्त अधिकारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवको को लागू नियमों का अनुदेशों को आधार पर किया जावेगा । चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी ।

5.9 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को आधारभूत एवं उसे दायित्वों के संबंधित प्रशिक्षणों में अनिवार्यतः भाग लेना होगा ।

5.10 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर संकेंगें ।

5.11 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नही करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रु.250/– तक अर्थदण्ड या अनुशासनहीता करने का लगाया जा सकेगा । संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थदण्ड लगने की स्थिति में निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवाये समाप्त की जा सकेंगी ।

5.12 चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा । यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 1 माह के अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है ता उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।

5.13 विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा ।

5.14 कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर (लोक सेवा) के जाब चार्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित किये जाएगें ।

5.15 कर्तव्य पर उपस्थित होने के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।